न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक
राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नथमल गोयल पुत्र मुंशीलाल गोयल, जाति- गोयल, निवासी- अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- एल. रतिराम मुशीलाल, अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

2. अनिल सेठिया पुत्र उत्तमचद्र सेठिया, निवासी- 602/9 Mir ji Ka Bag, Near MLA Quarter, M.I.Road Jaipur, Jaipur 302001
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- मिलन मार्केटिंग, पंजाव नेशनल बैंक के सामने, संसार चन्द्र रोड, जयपुर

3. भुवनेश व्यास पुत्र रामचन्द्र व्यास, निवासी- धामानी चौक, रामदेव मन्दिर के पास, बीकानेर, जिला- बीकानेर
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- SETHIA FOODS, 264, 263A Bichhwal Industrial Area, Bikaner

4- SETHIA FOODS, F-264, 263A Bichhwal Industrial Area, Bikaner

प्रकरण संख्या: 39/2020

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 12 जनवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 19.10.2019 को 5.15 पी.एम. पर फर्म एल. रतिराम मुंशीलाल, अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से नथमल गोयल पुत्र मुंशीलाल गोयल, जाति- गोयल, निवासी- अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ... जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के ... रैक ... विक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के 16 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के जांच हतु खरीदे एवं प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 700/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1058, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों खरीद शुदा नमूना पाउचों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1058 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नथमल गोयल व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधुपर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 19.10.2021 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नथमल गोयल से जांच हेतु लिया गया प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) का नमूना S-1058 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर मुल्जिमानगण के द्वारा अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की [illegible] धारा 51 के तहत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:49 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

सिरोही (राज.)

प्रात. [illegible] अधिकारी
सिरोही-307001

जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम को धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या.1 (नथमल गोयल) की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिओम दत्ता उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से उनके अधिवक्ता ने इस न्यायालय में दिनांक 31.8.2021 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 (नथमल गोयल) के अधिवक्ता ने दिनांक 17.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रतिवादी नथमल गोयल की दिनांक 01.5.2021 को मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्राप की जावे। प्रतिवादी संख्या-1 के वकील ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी नथमल गोयल की मृत्यु का प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत की। जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2021 को प्रतिवादी नथमल गोयल के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 12.1.2022 को श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुए। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.8.2021 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 19.10.2019 को 5.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म एल. रतिराम मुंशीलाल, अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म एल. रतिराम मुंशीराम, अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से नथमल गोयल पुत्र मुंशीलाल गोयल, जाति- गोयल, निवासी- अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म एल. रतिराम मुंशीलाल के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 20[illegible] जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह [illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:49 IST
Reason: SelfAttested

स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता नथमल गोयल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के 16 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि 5,60/- (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) विक्रेता नथमल गोयल को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता नथमल गोयल, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1058, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता नथमल गोयल व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूनाा भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1058 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता नथमल गोयल, उक्त गवाहों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म एल. रतिराम मुंशीलाल, अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता नथमल गोयल से प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड [illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

...पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:49 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज०)

सिरोही-307001

अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 19.10.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1058 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./868/Act/2019/895 दिनांक 01.11.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म एल. रतिराम मुंशीलाल, अग्रसेन मेन मार्केट, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता नथमल गोयल से वास्ते जांच क्रय किया गया प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) का नमूना S-1058 अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/12679-82 दिनांक 28.11.2019 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी नथमल गोयल व निर्माता फर्म SETHIA FOODS, F-263A, 264, Bichwal Industrial Area, Bikaner को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी नथमल गोयल की फर्म एल. रतिराम मुंशीलाल, माउन्ट आबू ने प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म मिलन मार्केटिंग, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से टेक्स इनवोईस/बिन नम्बर 5395 दिनांक 05.10.2019 के द्वारा क्रय किये गये, जो प्रतिवादी अनिल सेठिया की फर्म है। प्रतिवादी अनिल सेठिया की फर्म मिलन मार्केटिंग द्वारा प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) के 500-500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म SETHIA FOODS, F-263A, 264, Bichwal Industrial Area, Bikaner से बिल/टेक्स इनवोईस नम्बर 1453 दिनांक 02.10.2019 के द्वारा क्रय किये गये है, जो प्रोपराईटरी फूड सोन केक (उत्तम ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व विनिर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु मुख्य रुप से विनिर्माता फर्म दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की

....पेज छः पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

धारा- 51 के तहत अमानक (Sub-standard) प्रोपराईटरी फूड (उत्तम ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म SETHIA FOODS, F-263A, 264, Bichwal Industrial Area, Bikaner (Raj.) पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म SETHIA FOODS, F-263A, 264, Bichwal Industrial Area, Bikaner के नॉमिनी भुवनेश व्यास पुत्र रामचन्द्र व्यास, निवासी- धामाणी चौक, रामदेव, मन्दिर के पास, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म SETHIA FOODS, F-263A, 264, Bichwal Industrial Area, Bikaner पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:06:49 IST
Reason: SelfAttested